रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05022021-224960
SG-DL-E-05022021-224960

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2021/ माघ 15, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 310
No. 49]	DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2021/MAGHA 15, 1942	[N. C. T. D. No. 310

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 4 फरवरी, 2021

सं. फा.–19(08)/2019/वि.स.स./स्था0/1324.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या–27/59–एच.आई.एम. (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा विधान सभा सचिवालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में ''**पुस्तकालय अध्यक्ष**'' के पद के लिए निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** : (i) इन नियमों को दिल्ली विधान सभा सचिवालय ''**पुस्तकालय अध्यक्ष**'' भर्ती नियमावली, 2020 कहा जाएगा।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

2. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित

अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **अयोग्यता** :— ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

4. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

5. **बचाव** :— इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

<table>
<tr><td>1.</td><td>पदनाम</td><td colspan="4">''पुस्तकालय अध्यक्ष''</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पदों की संख्या</td><td colspan="4">01 (2020)
* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वर्गीकरण</td><td colspan="4">सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>वेतन मैट्रिक्स में स्तर</td><td colspan="4">वेतन स्तर-6 (35400-112400/- रुपये)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है</td><td colspan="4">लागू नहीं।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा</td><td colspan="4">30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय।)
(क) महत्वपूर्ण विवरण : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।</td></tr>
<tr><td rowspan="5">7.</td><td rowspan="5">सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं</td><td colspan="2">अनिवार्य</td><td colspan="2">वांछनीय</td></tr>
<tr><td>योग्यता</td><td>अनुभव</td><td>योग्यता</td><td>अनुभव</td></tr>
<tr><td>(क) (i). किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि ।</td><td>(ii) केंद्र/राज्य सरकार स्वायत्त या साविधिक संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिणिक संस्थान के अंतर्गत पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यवसायिक अनुभव।</td><td>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।</td><td>लागू नहीं।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">1. योग्यता मानक टिप्पणीः अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं डी.एस.एस.एस.बी. /सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">2. अनुभव मानक टिप्पणीः यदि चयन की किसी अवस्था में डी.एस.एस.एस.बी./ सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">जातियों के लिए उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं डी.एस.एस.एस.बी./सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।</td><td colspan="4">आयु: लागू नहीं
शैक्षिक योग्यता: लागू नहीं।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।</td><td colspan="4">2 वर्ष</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत</td><td colspan="3"><u>सीधी भर्ती द्वारा:</u>
टिप्पणी : पदधारियों द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) पर जाने या लम्बी रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार केंद्र/राज्य सरकार स्वायत्त या साविधिक संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिणिक संस्थान के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरी जा सकेंगी।
(क) (i)मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले, या
(ii)वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत उस ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा सहित, तथा उसके समकक्ष, और
(ख) कॉलम नं0 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए यथानिर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले।
टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि इसमें उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुंरत पूर्वनिर्धारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्य तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) पर स्थानातंरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।</td><td>प्रतिशित:
100%</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है।</td><td colspan="4">लागू नहीं।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12.</td><td rowspan="2">यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?</td><td colspan="2">पदोन्नति</td><td colspan="2">सीधी भर्ती का स्थायीकरण</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.सचिव, दिल्ली विधान सभा : अध्यक्ष
2.सहायक निदेशक शिक्षा
(स्था0–iv) शिक्षा विभाग : सदस्य
3.उप सचिव (प्रशासन),
दिल्ली विधान सभा : सदस्य</td><td colspan="2">1.सचिव, दिल्ली विधान सभा : अध्यक्ष
2.सहायक निदेशक शिक्षा
(स्था0–iv) शिक्षा विभाग : सदस्य
3.उप सचिव (प्रशासन),
दिल्ली विधान सभा : सदस्य</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।</td><td colspan="4">अनिवार्य नहीं।</td></tr>
</table>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर

मुकेश सी. शर्मा, उप सचिव (प्रशासन)/कार्यालय प्रमुख

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th February, 2021

F.19 (08)/2019/LAS/Estt./1324.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.27/59-Him(i), dated the 13th July, 1959 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make following Recruitment rules for the post of **"Librarian"** in the Delhi Legislative Assembly Secretariat, National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement**:- (i) These rules may be called Delhi Legislative Assembly Secretariat **"Librarian"** Recruitment Rules, 2020.
   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, classification and Pay level in the Pay matrix**:- The number of said post, its classification and Pay Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc:-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications:-** No person;
   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

   (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**:- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax in consultation with Union Public Service Commission for any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the post	LIBRARIAN
2.	Number of posts.	1 (2020) * Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	General Central Service Non- Ministerial. Non-Gazetted, Group-B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Pay Level-6 (Rs.35400-112400/-).
5.	Whether selection post or non-selection post.	Not applicable.
6.	Age limits for direct recruits	**Not Exceeding 30 years.** (Relaxable for Govt. Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.). **(a) Crucial Description:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island or Lakshadweep).

<table>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td rowspan="3">Educational and other qualification required for direct recruits</td><td colspan="2">Essential</td><td colspan="2">Desirable</td></tr>
<tr><td>Qualification</td><td>Experience</td><td>Qualification</td><td>Experience</td></tr>
<tr><td>(i) Bachelor Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognized University/ Institute.</td><td>(ii)Two years professional experience in a Library under Central/State Government/Autonomous or Statutory Organizations/PSU/University or recognized research or Educational Institution.</td><td>Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute.</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">1. Qualification Standard Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the DSSSB/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">2. Experience Standard Note: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the DSSSB/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the DSSSB/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.</td><td colspan="4">Not applicable.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Period of probation, if any.</td><td colspan="4">2 Years</td></tr>
<tr><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.</td><td colspan="3">Method:</td><td>Percentage:</td></tr>
<tr><td colspan="3">By direct recruitment.

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled by deputation (ISTC) basis from officers of Central/State Government/ Autonomous/PSU/University or recognized research or Educational Institution.

a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; OR
(ii) with 6 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level: 5 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

b) Possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column 7.</td><td>100%</td></tr>
</table>

		Note: Period of deputation (ISTC) including period of deputation(ISTC) in another Ex-Cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by Deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	

11.	In case recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	Not Applicable	
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Promotion**	**Confirmation of DR**
		1. Secretary, LAS : Chairman 2. ADE(E-IV), Dte. of Education : Member 3. Dy. Secy.(Admn.), LAS : Member	1. Secretary, LAS : Chairman 2. ADE(E-IV), Dte. of Education : Member 3. Dy. Secy.(Admn.), LAS : Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable	

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

MUKESH C. SHARMA, Dy. Secy. /HOO

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.02.05 16:44:27 +05'30'